

सं0-7-4 / 2008-पीएमयू
भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

किराये पर कार्यालय आवास लेने हेतु विज्ञापन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने उपयोग के लिए कार्यालय आवास को अधिगृहीत करने हेतु लगभग 4000 वर्ग फुट फर्श-क्षेत्रफल (Carpet area) वाले भवनों के कानूनी मालिकों/मुख्तार-नामा (Power of Attorney) धारकों से बोलियाँ आमंत्रित करता है। भवन-परिसर पास के इलाकों जैसे सफदरजंग एनक्लेव, ग्रीन पार्क, हौज खास, चाणक्य पुरी और लोदी रोड सांस्थानिक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए जो "एनडीएमए भवन", ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 से 5 कि.मी. के दायरे में मौजूद हो। प्रस्तावित कार्यालय आवास को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) की संपूर्ण अवधि अर्थात् मार्च, 2015 तक किराए पर लेना प्रस्तावित है। किराये पर आवास लेने संबंधी शर्तों और निबंधन के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ncrmp.gov.in देखें।

इच्छुक पार्टियों (सिर्फ कानूनी मालिक) को अपने प्रस्ताव गैर-ऋणभार प्रमाणपत्र (Non-encumbrance certificate) के साथ एक सीलबंद लिफाफे जिसके ऊपर "आवास के लिए दरें उद्धरण" लिखा हो, में 'श्री ए. के. जैन, अवर सचिव और सहायक सलाहकार (प्रशमन), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 के पास इस विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर भेजने चाहिए।

भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

किराये पर कार्यालय आवास लेने के लिए विज्ञापन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु लगभग 4,000 वर्ग फुट फर्श-क्षेत्रफल (Carpet area) वाले कार्यालय-परिसर किराये पर लेने के लिए भवनों के कानूनी मालिकों/मुख्तार-नामा (Power of Attorney) धारकों से बोलियाँ आमंत्रित करता है। भवन-परिसर पास के इलाकों जैसे सफदरजंग एनक्लेव, ग्रीन पार्क, हौज खास, चाणक्य पुरी और लोदी रोड सांस्थानिक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए जो "एनडीएमए भवन", ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 से 5 कि.मी. के दायरे में मौजूद हो। निविदा की निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं : -

निबंधन और शर्तें

1. भवन सफदरजंग एनक्लेव, ग्रीन पार्क, हौज खास, चाणक्य पुरी और लोदी रोड सांस्थानिक क्षेत्र के इलाकों अर्थात "एनडीएमए भवन", ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 से 5 कि.मी. के दायरे में स्थित होना चाहिए।
2. इच्छुक पार्टियाँ इस प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर अपने प्रस्ताव एक सीलबंद लिफाफे जिस पर "आवास के लिए दरे उद्धरण" लिखा हो, में श्री ए.के. जैन, अवर सचिव और सहायक सलाहकार (प्रशमन), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029 के पास भेज दें और ऐसे प्रस्ताव भवन के कानूनी मालिकों द्वारा गैर-ऋणभार प्रमाणपत्र (Non-encumbrance Certificate) सहित प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
3. प्रस्ताव दो पृथक सीलबद्ध लिफाफों में दो भागों में प्रस्तुत किए जाएँ। पहला भाग "तकनीकी बोली" का होगा जिसमें तकनीकी प्राचलों जैसे डिजाइन प्राचल, विद्युत आपूर्ति, लिफ्ट की व्यवस्था, निर्माण की किस्म, पेशकश की गई आम सुविधाएँ, यदि कोई हों, पार्किंग स्थान की उपलब्धता, एअर-कंडीशन संबंधी मानक आदि शामिल होने चाहिए। दूसरा भाग "वित्तीय बोली" का होगा जिसमें प्रभारित किए जाने वाला प्रस्तावित किराया और वित्तीय शर्तें शामिल होनी चाहिए। दोनों बोलियाँ पृथक सीलबद्ध लिफाफों में होनी चाहिए और लिफाफों पर सबसे ऊपर "वित्तीय बोली" या "तकनीकी बोली" स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए। इन दोनों लिफाफों को ऊपर पैरे में किए गए उल्लेख के अनुसार एक सील-बंद लिफाफे में रखा जाए। पहली बार में, तकनीकी बोली खोली जाएगी और वित्तीय बोली केवल उन पार्टियों के संबंध में खोली जाएगी जिन्हें तकनीकी बोली आधार पर छँटा गया है।
4. तकनीकी बोली में अन्य बातों के साथ, निम्न ब्योरे शामिल होने चाहिए : क) भवन का स्थान और पता (खास तौर पर भवन के फोटो सहित) ख) वास्तविक संपूर्ण क्षेत्र (Super-area) और फर्श-क्षेत्रफल (Carpet-area); ग) आवास का विस्तृत अनुमोदित नक्शा (Plan); घ) नगर-निगम कानूनों के अनुसार कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग हेतु सभी संबद्ध केंद्रीय/राज्य/निगम प्राधिकरणों और अग्निशमन विभाग की निकासियाँ, अनापत्ति प्रमाणपत्र, और ङ) भवन में उपलब्ध सेवा-सुविधाएँ।
5. मालिक द्वारा प्रदत्त आवश्यक सुविधाएँ : (i) भवन आत्म-निर्भर तथा सुगम पहुँच सहित मुख्य मार्ग पर स्थित हो। यह कार्यालय-उपयोग के लिए सक्षम एवं स्वीकृत हो; (ii) कम से कम 20 वाहनों के लिए आशवासित निशुल्क पार्किंग स्थल प्रदान किया गया/उपलब्ध हो; (iii) पूरे दिन 100: पावर बैकअप सहित 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो; (iv) कार्यालय आवास में वैद्युत जुड़नार (फिक्सचर्स) जैसे स्विच, पावर प्वाइंट आदि हों; (v) किराए पर दिए जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्र/हिस्सा एक ही तल पर या क्रमिक तलों पर स्थित हो। तथापि, सुरक्षित बाउंडरी वाली दीवारों तथा पृथक प्रवेश वाले विशेष भवनों को वरीयता दी जाएगी; (vi) भवन में सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवर हो; (vii) रखरखाव (सिविल, वैद्युत, मकैनिकल, प्लंबर संबंधी जिसमें उपभोज्य वस्तुएँ शामिल हैं) की व्यवस्था मालिक द्वारा की जाएगी और उस पर प्रति वर्ष वार्षिक मरम्मत तथा रखरखाव आदि की जिम्मेदारी भी होगी। इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा; (viii) कई मंजिला ऊँचे भवनों के मामले में, लिफ्ट की व्यवस्था अनिवार्य है; (ix) भवन में पुरुष तथा महिलाओं, दोनों के लिए अलग-अलग पर्याप्त शौचालय सुविधाएँ होनी चाहिए; (x) भवन विद्युत, जल सुविधा, लिफ्ट, सफाई व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों के साथ उपयोग हेतु तैयार होना चाहिए। उपलब्ध विद्युत क्षमता भी निर्दिष्ट होनी चाहिए; (xi) नीतिगत मामले के अनुसार सरकार द्वारा कोई अग्रिम किराया देय नहीं है; (xii) पेशकश किया गया आवास, इसके स्वामित्व पट्टा/किराया और इस पर लंबित किसी भी देनदारी और मुकदमे से मुक्त होना चाहिए। (xiii) भवन में 2 हार्सपावर की (2H.P.) क्षमता का जल मोटर पंप लगा हो।

6. वित्तीय बोली में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये बिंदु भी शामिल होंगे : (i) प्रति वर्ग फुट फर्श-क्षेत्रफल (Carpet-area)/शामिल क्षेत्रफल (Covered area) आदि के लिए मांगे गए किराए तथा पेशकश किए गए किराये में ही संपत्ति मालिक द्वारा चुकाए जाने वाला संपत्ति कर या कोई अन्य कर शामिल होना चाहिए। (ii) दरों को शब्दों और अंकों में उद्घृत किया जाना चाहिए तथा (iii) बोली में तीन वर्षों के बाद किराये में की जाने वाली बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी शामिल किया जा सकता है।

7. बोली दाता को बोली जमाराशि (**Bid Security**) के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरण और आहरण अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली, के नाम में आहरित तथा नई दिल्ली में देय 10,000/- (दस हजार रुपये केवल) की राशि का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। असफल बोली दाताओं को डिमांड ड्राफ्ट अनुबंध किए जाने के 30 दिन के भीतर लौटा दिए जाएंगे। बोली जमाराशि के बिना प्राप्त किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि भवन में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों में किसी प्रकार की कमी है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को किराये पर लिए गए भवन को छोड़ने का पूरा अधिकार होगा।

9. कार्यालय परिसर को किराये पर लेने/किराये से छोड़ने से संबंधित कोई भी विवाद नई दिल्ली के कानूनी क्षेत्राधिकार तक समिति रहेगा।

10. सशर्त पेशकशों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

.....